निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 187 / 2018 तारीख दायरा 01.06.2018

उनवान

धर्मेन्द्र सिंह आयु 32 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान । – वादी –

बनाम

1. चतुर्भुज चौधरी आयु 62 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान।
2. श्रीमति प्रकाश चौधरी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम बपावरकलां हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद कोटा राजस्थान। – प्रतिवाद

<u>वाद अन्तर्गत धारा 40,88,89,90,91,92,53,188 आर टी एक्ट</u>

दिनांकः–10.11.2020

उपस्थितः– श्री धर्मराज नायक वकील वादी
श्री अनुतोष धाकड प्रतिवादी वकील

–::निर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ... द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाके ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में ... खाता नं0 नया 97 पुराना 92 से खसरा नं0 286 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 287 रकबा 4.65 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

खसरा नं0 288 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 289 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 290 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नं0 291 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 292 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 293 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं0 294 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.79 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी कम 2 के पिता प्रतिवादी कम 1 चतुर्भुज के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोन्धित किया गया है।

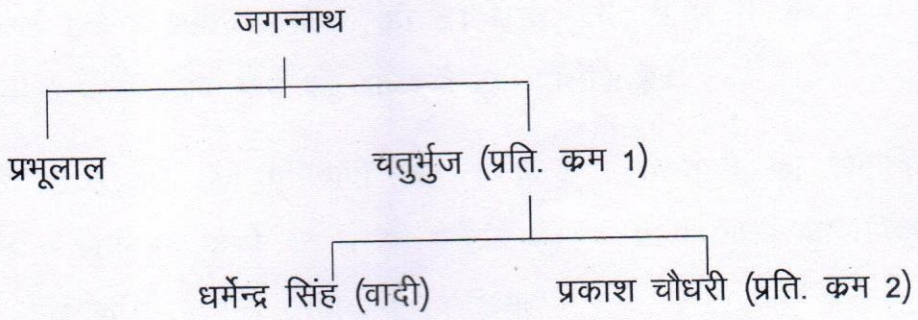

उक्त वर्णित आराजियात का साबिक खसरा नं0 71,72,73 था जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री जगन्नाथ जी की खातेदारी में दर्ज था। पक्षकारान का वंश वृक्ष इस प्रकार हैः–

वादी, प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है तथा प्रतिवादिनी कम 2, प्रतिवादी कम 1 की पुत्री है। प्रतिवादी कम 1 को उक्त विवादित आराजियात अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है। इस कारण प्रतिवादी कम 1 को विवादित आराजियात को रहन बय व खुर्द बुर्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी कम 2, प्रतिवादी कम 1 के जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं जिनका विवादित आराजियात में जन्म से ही हक अधिकार स्वतः प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी कम 1, प्रतिवादिनी कम 2 से मिलीभ[illegible] विवादित आराजियात को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। [illegible] 2 किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिस पर वादी का भी बराबर हक व अधिकार प्राप्त है। इस कारण वादी विवादित आराजियात में जो अपना 1/3 हिस्सा है, की घोषणा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

करवाकर पृथक से अपने 1/3 हिस्से को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

दिनांक 20.08.2017 को वादी को जब इस बात की जानकारी हुयी कि प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजियात को बेचान कर रहे हैं, तो वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 से कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप उक्त विवादित आराजियात को बेचान व खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। इस पर प्रतिवादी कम 1 ने वादी से कहा कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है, मै चाहूं जो करूं। तुझे मुझे रोकने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 को उक्त विवादित आराजियात को बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादी कम 1 व 2 ने कहा कि अब हम विवादित आराजियात को रहन, बेचान या खुर्द बुर्द करके रहेंगे। जिसका प्रतिवादीगण को काई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु वादी, प्रतिवादी कम 1 व 2 विरूद्ध अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकरी एवं नालिशि है।

वाद कारण दिनांक 20.03.2018 को प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा वादी को विवादित आराजियात को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने व दिनांक 23.04.2018 को नोटिस देने के फलस्वरूप बमुकाम बपावरकलां तहसील सांगोद में पैदा हुआ।

वाद पेश करने से पूर्व राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है, जिसकी मियाद अभी समाप्त नहीं हुई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है क्योंकि प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजियात को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने का आमादा है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80(2) सी0पी0सी0 के आवेदन के साथ वाद पेश है।

अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी पारित फरमायी जावे कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद खाता सं0 नया 97 पुराना 92 से खसरा नं0 286 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 287 रकबा 4.65 हैक्टर, खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

288 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 289 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 290 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नं0 291 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 292 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 293 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं0 294 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.79 हैक्टर भूमियां जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 के नाम बतोर खातेदार कृषक अंकित है, पर प्रतिवादी कम 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादीनी कम 2 का नाम अंकित किया जावें। विवादित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर पृथक से वादी की खातेदार अंकित किया जावें तथा जुदागाना लगान भी कायम किया जावें। प्रतिवादी कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि विवादित आराजियात वाके ग्राम सांगोद तह0 सांगोद की कुल किता 9 कुल रकबा 5.79 हैक्टर या उसके किसी भू भाग को कहीं रहन, बय, बन्धक न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने इकबाली जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। जवाब सरकार पेश हुआ। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो दस्तावेज, जमाबंदी, इकबाली जवाबदावा, जवाब सरकार आदि उपलब्ध है उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खाता नं0 नया 97 पुराना 92 से खसरा नं0 286 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं0 287 रकबा 4.65 हैक्टर, खसरा नं0 288 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नं0 289 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 290 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नं0 291 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 292 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 293 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नं0 294 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.79 हैक्टर आराजियात में से 1/3 हिस्से का वादी धर्मेन्द्र सिंह पुत्र चतुभुज को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राज लगान पृथक से अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। वादग्रस्त आराजी के रहन मुक्त होने के पश्चात ही डिक्री की पालना की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

निर्णय आज दिनॉक 10.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद